न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री रवि वर्मा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 106/2017 निर्णय दिनांक :– 26.02.19

उनवानी दावा :–

1 सलामत अली पुत्र इमामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी राजमहल

2 अब्दुल कलाम पुत्र इमामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी राजमहल

3 मोइनुद्धीन पुत्र इमामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी राजमहल तह0 देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

उपस्थिति :–

श्री वी. के जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार
अप्रार्थी संख्या 1 व 2

वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता इमामुद्दीन पुत्र कादर बक्श जाति मुसलमान निवासी राजमहल तह0 देवली को जिला कलेक्टर टोंक द्वारा दिनांक 25.07.1995 को ग्राम राजमहल के खसरा नम्बर 84 रकबा 3.13 है0 साबिका में से रकबा 2.50 है0 भूमि अर्थात 10 बीघा भूमि आवंटन नियमन करने की स्वीकृति प्रदान की थी। उक्त नियमन भूमि मे वादीगण के पिता ने बैंक से ऋण लेकर कुआँ खुदवाकर रकबा 2.50 है0 भूमि को सिंचित करते हुये काश्त करते थे। वादीगण के पिता इमामुद्दीन पुत्र कादर बक्श जाति मुसलमाल निवासी राजमहल का इन्तकाल हो चुका है और वादीगण के पिता इमामुद्दीन पुत्र कादर बक्श को आवंटित एवं नियमन खसरा नम्बर 84 रकबा 3.13 है0 भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 2.50 है0 भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी में अंकित की थी, का नामाकंरण उनके इन्तकाल के बाद वादीगण के नाम खोला जा चुका है और वादीगण के नाम हाल जमाबंदी में दर्ज है। वादीगण के पिता को आवंटित एवं नियमित हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 2.50 है0 भूमि वाके ग्राम राजमहल जिनका वादीगण के पिता के इन्तकाल के बाद नामांतकरण वादीगण के नाम हो चुका है उसका बंटवारा राजस्व दिनांक 15.07.2017 को केम्प राजमहल मे वादीगण की सहमति से सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया गया है जिसका नामांतकरण भी हाल जमाबंदी में विभाजन के अनुसार वादीगण के नाम अंकन हो चुका है। वादीगण के पिता इमामुद्दीन को आंवटित एवं

नियमित हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 2.50 है0 भूमि मौके पर स्थित है परन्तु नक्शा सीट में पटवार एवं गिरदावर मे 3.13 है0 भूमि से रकबा 2.50 है0 भूमि तरमीम नहीं करके मात्र 2.20 है0 भूमि गलती से तरमीम कर दि जबकी मौके पर रकबा 2.50 है0 भूमि पर वादीगण काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है। बंटवारा होने के पश्चात नक्शा सीट मे बंटवारा का अंकन नही किया गया। वादीगण के मध्य उक्त भूमि खसरा नम्बर 81 रकबा 2.50 है0 भूमि बंटवारा होने के पश्चात पटवार हल्का से सीट में तरमीम करने के लिये कहा तब पटवारी ने उक्त सीट मे रकबा 2.50 है0 की जगह रकबा 2.20 है00 दर्ज होना बताया और 0.30 है भूमि का तरमीम करना बताया जो मोके पर मौजूद है इसलिये वादीगण को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ और मौके पर खसरा नम्बर 81 नियमित भूमि 2.50 है0 मौके पर वादीगण काबिज काश्तकार होने से नक्शा सीट मे दुरूस्त किया जाकर नक्शा सीट मे 2.50 है0 भूमि तरमीम किया जाना व दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिसके लिये वाद पेश है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार ने जवाब दिनांक 01.02.19 को पेश किया। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया ग्राम राजमहल का मूल ख. नं. 84 था नवीन राजस्व ग्राम रावता माताजी बन जाने से नवीन ख. नं. 81 व 82 बनाये गये है । ख. नं. 81 रकबा 2.50 है0 जो वादीगण के नाम से विभाजन होकर पृथक–पृथक अंकित है। मूल ख. नं. 84 का रकबा 3.13 है0 का तहसील कार्यालय में उपलब्ध मूल नक्शासीट (मोमिया) के अनुसार रकबा 3.13 है पूरा आता है। नक्शे में रकबा कम नहीं है तथा वादीगण ने भी स्वीकार किया है कि उनको आवंटित रकबा मौके पर पूरा है। इस प्रकार से जमाबन्दी, नक्शा तथा मौके के अनुसार रकबा पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रकरण में किसी प्रकार की राहत संभव नहीं है। प्रकरण को बहस में नियत किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबंन्दी संम्वत 2073–76 ग्राम रावता माताजी के ख. नं. 81 में 2.50 है0 रकबे का वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार की हैसियत में दर्ज है। वाद के अनुसार पटवारी की नक्शा शीट (लट्ठा शीट) में 2.50 है0 रकबे का वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज है। वाद के अनुसार पटवारी की नक्शा शीट (लट्ठा शीट)में 2.50 है0 के स्थान पर 2.20 है0 भूमि का ही नक्शा बनाया गया है जबकि रिकाकॅर्ड में जमाबंन्दी में ख. नं. 81 का रकबा 2.50 है0 दर्ज है। तहसीलदार देवली के जवाब 02.01.2019 के अनुसार मूल ख. नं. का रकबा जमाबन्दी, नक्शे व मौके के अनुसार पूर्ण है। अतः ग्राम रावता माताजी के ख. नं. 81 रकबा 2.50 है0 की लट्ठा शीट में तरमीम जमाबन्दी तथा भू–प्रबन्ध की मोमिया शीट के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 26.02.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली